

हरियाणा विधान सभा

2024 का विधेयक संख्या 25 एच. एल. ए

हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024

अतिथि संकाय/अतिथि अनुदेशकों की सेवा की सुनिश्चितता हेतु

और उससे सम्बन्धित या उसके

आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त
नाम, प्रारम्भ
तथा
विस्तार।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।

(2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्राय है, ऐसा अपीलीय प्राधिकारी, जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेशालय हेतु विनिर्दिष्ट करे;

(ख) "नियत तिथि" से अभिप्राय है, 15 अगस्त 2024:

(ग) "समुचित प्राधिकारी" से अभिप्राय है, ऐसा नियुक्त प्राधिकारी, जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेशालय हेतु विनिर्दिष्ट करे;

(घ) "निदेशालय" से अभिप्राय है, निदेशालय, तकनीकी शिक्षा, हरियाणा;

(ड.) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की

सरकार;

(च) "अतिथि संकाय" से अभिप्राय है, नियत तिथि को संस्थान में

प्राध्यापक, अनुदेशक या सहायक आचार्य के रूप में नियोजित कोई व्यक्ति;

(छ) "संस्था" से अभिप्राय है, निदेशालय के अधीन राजकीय बहुतकनीकी,

राजकीय सोसाइटी बहुतकनीकी, राज्य अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान;

(ज) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों

द्वारा विहित;

(झ) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;

(ञ) "अधिवर्षिता" से अभिप्राय है, अठारह वर्ष की आयु।

पात्रता की
शर्तें।

3. पात्र अतिथि संकाय में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे,-

(i) ऐसा व्यक्ति, जिसका नियोजन हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (गुप

ख) सेवा नियम, 2001 में विहित योग्यताओं के अनुसार 12 नवम्बर, 2019

को या उससे पूर्व किया गया था; या

(ii) जिसे हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (गुप ख) सेवा नियम, 2019 में

विहित योग्यताओं के अनुसार 12 नवम्बर, 2019 के बाद नियोजित किया

गया था; या

(iii) ऐसी शाखाओं में नियोजित व्यक्ति, जिसके लिए उसके नियोजन के समय

कोई सेवा नियम लागू नहीं थे, किन्तु उसे विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम

योग्यताओं के अनुसार नियोजित किया गया था; या

(iv) जो हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग, तकनीकी क्षेत्रीय अमला (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1998 में विहित योग्यताओं के अनुसार अनुदेशक के रूप में नियोजित किया गया था; या

(v) ऐसी शाखाओं में अनुदेशक के रूप में नियोजित किया गया था, जिसके लिए उनके नियोजन के समय कोई सेवा नियम लागू नहीं थे, किन्तु उसे विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम योग्यताओं के अनुसार नियोजित किया गया था; या

(vi) जो संस्था में अतिथि संकाय के रूप में प्राध्यापक, अनुदेशक या सहायक आचार्य के रूप में नियोजित किया गया था और नियत तिथि को क्रमशः प्राध्यापक (अतिथि संकाय) के लिए 53,100/- रूपए, अनुदेशक (अतिथि अनुदेशक) के लिए 35,400/- रूपए और सहायक आचार्य (अतिथि संकाय) के लिए 55,500/- रूपए प्रतिमास के पारिश्रमिक पर सेवा में हैं; तथा

(vii) उसने नियत तिथि को विनिर्दिष्ट कार्यभार पर संस्था में कम से कम पांच वर्ष का नियोजन पूरा कर लिया है ।

व्याख्या:- नियोजन के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजनों हेतु, किसी अतिथि संकाय, जिसने एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिन के लिए कार्य किया हो, को सम्पूर्ण वर्ष के लिए कार्य किया गया समझा जाएगा, किन्तु इसमें निम्नलिखित कर्मचारी शामिल नहीं होगा,-

(क) जिसने नियत तिथि को अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो; या

(ख) जिसकी सेवा नियत तिथि को या से पूर्व समुचित प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी गई हो अथवा हटा दिया गया हो या जिसने त्याग-पत्र दे दिया हो।

नियोजन का कार्यकाल। 4. अतिथि संकाय, संस्था में निरन्तर कार्य करता रहेगा जब तक वह अधिवर्षिता की आयु पूरी नहीं कर लेता।

पारिश्रमिक। 5. (1) अतिथि संकाय, सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे पारिश्रमिक के साथ-साथ सरकार द्वारा घोषित प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन से प्रभावी महंगाई भत्ते की प्रतिशतता के अनुसार वृद्धि (गैर-चक्रवृद्धि) का हकदार होगा।

(2) अतिथि संकाय, अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त करेगा।

(3) सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से प्रथम वर्ष के समापन पर और उसके बाद प्रत्येक वर्ष समेकित मासिक पारिश्रमिक पर वेतनवृद्धि प्रदान कर सकती है।

अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति। 6. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को संशोधित कर सकती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखी जाएगी।

अनुशासन, शास्तियां, अपीलें तथा अन्य मामले। 7. अनुशासन, शास्तियां, अपीलों से सम्बन्धित मामलों और अन्य मामलों में, जो इस अधिनियम के अधीन विशेष रूप से उपबंधित नहीं किए गए हैं, अतिथि संकाय ऐसे नियमों द्वारा शासित होगा, जो विहित किए जाएं।

सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। 8. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए

आशयित किसी बात के लिए सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना। 9. इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

नियम बनाने की शक्ति। 10. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखा जाएगा।

कठिनाई दूर करने की शक्ति। 11. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस

अधिनियम के उपबन्धों से अन्असंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के बाद, इस धारा के अधीन कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखा जाएगा।

अनुसूची

(देखिए धारा 5)

1.	प्रधान मंत्री- जन आरोग्य योजना (पी0एम0-जे0ए0वाई0) चिरआयु विस्तार योजना के अधीन यथा अधिसूचित या सरकार द्वारा यथा संशोधित के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल लाभ।
2.	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 36) में विनिर्दिष्ट दरों के समान मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपादान।
3.	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 36) के उपबन्धों के अनुसार प्रसुति प्रसुविधा।
4.	अनुग्रहपूर्वक अनुकंपा वित्तीय सहायता लाभ, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा सरकार राज्य में कार्यरत अतिथि प्राध्यापकों / अनुदेशकों / सहायक प्राचार्यों के लिए, जोकि विभिन्न राजकीय बहुतकनीकी संस्थान/राजकीय सोसाइटी बहुतकनीकी संस्थान एवं राजकीय अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थानों में लम्बे समय से अपनी सेवार्यें दे रहे हैं, उनको सेवा सुरक्षा के लिए नीति तैयार करना चाहती है। इन अतिथि प्राध्यापकों /अनुदेशकों / सहायक प्राचार्यों ने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष राज्य की सेवा में लगाए हैं और उनके मन में भविष्य को लेकर काफी अनिश्चितता व्याप्त है क्योंकि इनमें से कुछ की आयु हरियाणा सरकार के सेवा नियमों के लिए निर्धारित आयु सीमा से अधिक हो चुकी है। ऐसे में इन अतिथि संकायों को भार मुक्त करना या नवनियुक्त संकायों से बदलना न्याय संगत नहीं लगता है।

अतः इन अतिथि संकायों के द्वारा दिए गए अनुरोध पत्रों को संज्ञान में लेते हुए, राज्य सरकार इनको सेवा सुरक्षा प्रदान करना चाहती है जो कि लम्बे समय से विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, ताकि इनको भविष्य की अनिश्चितता एवं मानसिक अवसाद से राहत मिल सके।

अतः बिल प्रस्तुत है।

महीपाल ढांडा,
उच्चतर शिक्षा मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़:

दिनांक 14 नवम्बर, 2024

डॉ. सतीश कुमार,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 14 नवम्बर, 2024 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

प्रत्यायोजित विधेयक का खण्ड 10 राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। कार्यपालिका की शक्तियों का यह प्रत्यायोजित सामान्य प्रकृति का है। इसलिए हरियाणा विधान सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 126 के तहत प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन।